दिनांक ....
किसे मार्क होना है ....
अधीक्षक के हस्ताक्षर ....

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004 म.नि.पं. के हस्ताक्षर ....

क्रमांक- 2111 /2745/2018/2/पांच, भोपाल दिनांक 02 अगस्त, 2018

प्रति,

समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय- दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने पर लगाये गए अनाधिकृत प्रतिबंध हटाए जाने बावत।

संदर्भ-
1. विभागीय पत्र क्रमांक 4409/3195/2009/2/पांच, दिनांक 02/12/2009
2. विभागीय पत्र क्रमांक 447/2010/2/पांच, दिनांक 19/03/2010
3. मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक-110/मुस/2011, दिनांक 21/06/2011

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। संदर्भित पत्रों द्वारा किसी अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर प्रतिबंध लगाये जाने बावत कोई प्रशासकीय आदेश जारी किये गये हैं तो उसके तत्काल निरस्त किये जाने संबंधी परिपत्र जारी किये गये है, किंतु कतिपय अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंध अभी भी लगाये जा रहे है। जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के पूर्णत: विपरीत है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम स्वयं में एक पूर्ण संहिता है। इसके अंतर्गत किसी अन्य विधि के पालन का भार रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पर तब तक नहीं डाला जा सकता है, जब तक कि उस विधि में ऐसा स्पष्ट प्रावधान न हो।

2/ प्राय: यह देखा जा रहा है, कि प्लॉट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग से लगी भूमि के संबंध में पटवारी के प्रमाणीकरण व प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही रजिस्ट्री किये जाने एवं बिना डायवर्सन व कालोनाईजर लायसेंस के प्लॉटो के रूप में भूमि का रजिस्ट्रेशन न किये जाने के निर्देश जारी किये जा रहे है।

3/ उदाहरण स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी, करेरा, जिला शिवपुरी द्वारा दिनांक 12/03/2018 को आदेश जारी कर प्लॉट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग से लगी भूमि के संबंध में पटवारी के प्रमाणीकरण व प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही रजिस्ट्री किये जाने बावत उप रजिस्ट्रार करेरा/नरवर को आदेश दिया गया है।

512
7/8/18

निरंतर...2

4/ उपरोक्त संबंध में यहाॅ यह स्पष्ट किया जाता है, कि आपके जिले में दस्तावेज पंजीयन पर यदि कोई ऐसी अनाधिकृत रोक लगाई गई हो, तो कृपया तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न- पूर्व में जारी परिपत्र

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ.क्रमांक- 2112/2745/2018/2/पांच,

भोपाल दिनांक 02 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग
2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश भोपाल।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन प्रक्षेत्र, भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इंदौर।
4. समस्त जिला पंजीयक मध्यप्रदेश।

02/8/18
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग